

लिंगानुपात असन्तुलन के सामाजिक – सांस्कृतिक आयाम

Socio-Cultural Dimensions of Sex Ratio Imbalance

Paper Submission: 16/11/2020, Date of Acceptance: 29/11/2020, Date of Publication: 30/11/2020



अरुण कुमार उपाध्याय
प्रोफेसर और प्रमुख
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय एम.जे.एस पीजी
कॉलेज, भिंड, मध्य प्रदेश,
भारत

सारांश

मानव समाज के सन्तुलन, संगठन व विकास के लिये महिला पुरुष की संख्या में अनुपातिक सन्तुलन जीव वैज्ञानिक व समाज वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक है पर हमारे समाज में महिलाओं की उपेक्षा हमेशा होती रही है और उनका सही स्थीन समाज में नहीं मिल पाया। प्राय उन्हें दमित व शोषित किया गया जिस कारण लिंगानुपात असन्तुलन की स्थिति निर्मित हो गयी। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध प्रपत्र में लिंगानुपात असन्तुलन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को विश्लेषित किया गया है। अध्ययन में देखा गया कि लिंगानुपात असन्तुलन का मुख्य कारण लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या है और यह कुकृत्य अधिकांशत सुशिक्षित, आर्थिक दृष्टि से समर्पन और भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले जादा करा रहे हैं। लड़कियों की कमी होने से महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यौन शोषण, महिला उत्पीड़न और विवाह सम्बन्धी समस्याये निरन्तर बढ़ रही हैं। इससे बहुपति विवाह, बालात् विवाह और वेश्यावृत्ति जैसी समस्यायें पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि जनजागरण द्वारा समाज में जागरूकता पैदा किया जाये। महिला शिक्षा का विस्तार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर लिंगानुपात असन्तुलन को कम किया जा सकता है।

For the balance, organization and development of human society, a proportionate balance between the number of female men is necessary from both biologist and social scientist point of view, but in our society women have always been neglected and their rightful place could not be found in the society. Often they were repressed and exploited due to which the situation of sex ratio imbalance was created. The research form presented in this context analyzes the sociocultural aspects of sex ratio imbalance. The study found that sex determination and female feticide are the main causes of sex ratio imbalance, and this practice is mostly done by well educated, economically rich and materialistic outlook. Crimes against women, sexual exploitation, harassment of women and marriage related problems are constantly increasing due to lack of girls. This is causing problems like polyandry, child marriage and prostitution. To solve these problems, it is necessary to create awareness in the society through public awareness. Sex ratio imbalance can be reduced by expanding female education and promoting self-reliance financially.

मुख्य शब्द : लिंगानुपात भ्रूण हत्या बहुपति विवाह बलात् विवाह प्रजनन दर।

Sex-Ratio Feticide Polygamy Marriage Forced Marriage Fertility Rate.

प्रस्तावना

किसी भी समाज में परिवर्तन का एक मुख्य आधार होता है – जनसंख्या। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। किसी भी योजना को बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिये इसका ज्ञान आवश्यक है। हमें सिर्फ यही नहीं मालूम होना चाहिये कि प्रजनन दर और मृत्यु दर क्या है बल्कि उसके सामाजिक– सांस्कृतिक आधारों का भी पता होना चाहिये। मानव समाज के संतुलन, संगठन व विकास के लिये महिला- पुरुष संख्या में अनुपातिक संतुलन जीव वैज्ञानिक व समाज वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से आवश्यक है, पर व्यवहारिक रूप से हमारे समाज की आधे भाग की उपेक्षा होती रही है और उन्हें उनका सही स्थान नहीं मिल पाया। प्राय उन्हें दमित व शोषित किया गया जिस कारण लिंगानुपात असन्तुलन की स्थिति निर्मित हो गयी। महिलाओं के विकास को प्रजनन दर और लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाना चाहिये, पर विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से पता चलता है कि साक्षरता में वृद्धि ने प्रजनन दर को कम किया, पर पितृसत्तात्मक पक्षपात की मनोवृत्ति व सांस्कृतिक व्यवस्था

E: ISSN No. 2349-9435

अभी भी महिलाओं के विरुद्ध है जिसका स्पष्ट परिणाम लिंगानुपात हास के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष (1901) में जहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 972 थी वही (2011) में घट कर 940 हो गयी। यह हास मुख्यतः दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है— नगरीय क्षेत्र और उच्च आय समूह। वे प्रदेश जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, जैसे पंजाब हरियाणा, गुजरात, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, वही दुसरी ओर गरीब राज्यों यथा अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, व आन्ध्रप्रदेश में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। प्रत्येक राज्य के ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में यह समस्या उतनी गम्भीर नहीं है जितना नगरीय क्षेत्रों में है। चुकी भारतीय सामाजिक व्यवस्था अभी भी पितृसत्तात्मक है जो आज भी महिला की प्रस्थिति का निर्धारण पुत्र जन्म के आधार पर करती है तब स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है जब पुत्र को प्राथमिकता देने की परम्परा को छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका निश्चित परिणाम कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने आता है।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

भारत में घटते लिंगानुपात की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न शोधार्थियों द्वारा समय समय पर खोज परक प्रयास किये जाते रहे हैं। इन विभिन्न शोधार्थियों ने विभिन्न दृष्टिकोण एवं आधार को लेकर इस आयाम के अध्ययन कार्य को सम्पादित किया। के एन दास एवं पी सी महालनोविस ;1939द्व, मालनीकारकर एवं सूलमा चोगले ;1976द्व के वी रामचन्द्रन व व्ही ए देश पाण्डे ;1964द्व ने विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न समयावधि में प्रजनन सम्बन्धी विकितसा जनित अभिलेखों के आधार पर लिंगानुपात असन्तुलन के कारणों का आकलन करने का प्रयास किया। व्ही पी देसाई ;1967द्व एवं एम के जैन ;1976 द्वने भारतीय जनसंख्या में लिंगानुपात असन्तुलन के स्पष्टीकरण हेतु स्त्री—पुरुष जन्म दर की विवेचना की और अपने अध्ययन में पाया कि स्त्री—पुरुष जन्म दर में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है जिसके अधार पर इस अन्तर को भारतीय जनसंख्या में हासमान लिंगानुपात हेतु उत्तरदायी कहा जा सके। डा दिवाकर राजपुत ;2007 द्वने लिंगानुपात असन्तुलन व उसके दुष्परिणामों को विश्लेषित किया। उन्होंने अपने शोध अध्ययन में स्त्री—पुरुष के जनसंख्यात्मक असन्तुलन से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक—सांस्कृतिक समस्याओं एवं दुष्परिणामों की चर्चा की है। उन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि लड़कियों के निरन्तर कमी होने के कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यौन शोषण, व्यभिचार और विवाह सम्बन्धी समस्याया, पारिवारिक विधटन, महिला उत्पीड़न व पुरुषों की विवाह की समस्या बढ़ रही है। इससे बहुपति विचाह, बलात विवाह व वेश्यावृत्ति जैसी समस्या पैदा हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं उपकल्पना

उक्त सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में लिंगानुपात असन्तुलन के सामाजिक—सांस्कृतिक पक्षों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। हमारा यह अध्ययन इस

Periodic Research

मान्यता पर आधारित है कि लिंगानुपात असन्तुलन का मुख्य कारण लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या है और यह कुकृत्य आर्थिक रूप से सम्पन्न व भौतिक वादी दृष्टिकोण वाले जादा करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन विधि

लिंगानुपात असन्तुलन के सामाजिक—सांस्कृतिक आयाम से सम्बन्धित यह प्रपत्र मेरे द्वारा किये गये एक शोध अध्ययन पर आधारित है जो ग्वालियर नगर की पाश कालोनी दीनदयाल नगर में सम्पादित किया गया। दीनदयाल नगर के विभिन्न सेक्टरों में निवासरत कुल परिवारों की संख्या ज्ञात कर कुल 140 परिवारों का चयन दैव निर्दर्शन विधि के द्वारा किया गया। इनका चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। अध्ययन की इकाई परिवार की महिला मुखिया को माना गया। तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची में लिंगानुपात असन्तुलन के विभिन्न कारकों से सम्बन्धित प्रश्नों को समावेशित किया गया और उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जानी गयी। अनुसन्धान कार्य में अवलोकन विधि का भी उपयोग किया गया और सूचनादाताओं के व्यवहार विचार और मनोवृत्ति व अनुभवों के बारे जानकारी प्राप्त की गयी।

उत्तरदाताओं की सामाजिक—आर्थिक स्थिति का निर्धारण

प्रस्तुत अध्ययन की मुख्य समस्या उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के निर्धारण की थी और बिना किसी मापन के ये जानना सम्भव नहीं था कि महिलाओं की सामाजिक—आर्थिक स्तर किस रूप में पाया जाता है और इसके उचा या नीचा होने से उनके सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको जानने के लिये एक विशेष प्रकार के प्रश्न समूह का निर्माण किया गया और उससे सम्बन्धित तथ्यों के लिये गुणात्मक मूल्य प्रदान किया गया। कथनों को तीन श्रेणियों—सहमत असहमत और तटस्थ में विभक्त किया गया। प्रश्न समूह में कुल 12 प्रश्न रखे गये जिसमें प्रत्येक उत्तरदाता को न्यूनतम 12 और अधिकतम 36 अंक प्राप्त हो सकते थे। इन प्राप्तांकों से सबसे पहले समान्तर माध्य और मानक विचलन निकाला गया। माध्य और मानक विचलन को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया गया। इस प्रकार कुल प्राप्तांकों के लिये निचली और उपरी दो सीमाये प्राप्त हो गयी। इस प्रकार 12–21 अंक प्राप्त करने वाली उत्तर दाताओं को निम्न श्रेणी में 22–31 अंक प्राप्त करने वाली उत्तरदाताओं को मध्यम श्रेणी में और 32–36 अंक प्राप्त करने वाली उत्तर दाताओं को उच्च श्रेणी में रखा गया। प्राप्तांकों का वितरण निम्न सारणी में रखा जा रहा है—

सारणी –1 प्राप्तांकों का वितरण

प्राप्तांक	संख्या	प्रतिशत	स्तर
12–21	33	24	निम्न
22–32	63	45	मध्यम
32–36	44	31	उच्च
योग	140	100	—

E: ISSN No. 2349-9435

न्यूनतम प्राप्तांक –12 अधिकतम प्राप्तांक –36
समान्तर माध्य –26.77
मानक विचलन – 6.25 निम्न सीमा – 20.52 उच्च सीमा –35.02

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि कुल उत्तरदाताओं का 24 प्रतिशत भाग निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का 45 प्रतिशत मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर का और 31 प्रतिशत भाग उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में हमने उन उत्तरदाताओं को रखा जो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा व्यवसाय व कैरियर के प्रति अधिक जागरूक और लड़कियों को लड़कों से कम न आकर्ने के प्रति सर्वाधिक उदार थी। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के अन्तर्गत उन उत्तरदाताओं को रखा जो लड़कियों के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण रखने वाली थी और लड़कियों की शिक्षा दीक्षा, जागरूकता और लड़कों के समान समानता और नियन्त्रण के प्रति कम उदार थी। तटस्थ श्रेणी में उन उत्तरदाताओं को रखा गया जो लड़कियों के प्रति न तो बहुत अधिक उदार थी और न ही अनुदार। ये दोनों के मध्य रिश्ता है।

भूष्ण परीक्षण की आवश्यकता

आरम्भ में महिलाओं को प्रसव के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रसव के दौरान अनजानी जटिलताओं के कारण मॉं और बच्चे दोनों को जान का खतरा बना रहता था। कभी कभी मॉं और बच्चा दोनों से हाथ घोना पड़ता था। पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी सुविधाये उपलब्ध करा दीं की प्रसव के दौरान अनजानी जटिलताओं से मुक्ति मिल सके। इन सुविधाओं में अल्ट्रासोनोग्राफी, एम्नियोसेन्टेसि, कोरियोनिक विल्स विधि, प्री इम्पलान्टेशन स्टेज डायग्नोसिस, सेकेन्ड पोलर बाडी टेस्ट, थी-डी इकोग्राम, आदि प्रणालियों द्वारा विभिन्न बीमारियों को गर्भावस्था में पहचान कर ठीक किया जा सकता है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जा सकता है।

उक्त सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह पुछा गया कि आप की दृष्टि में गर्भस्थ शिशु का परीक्षण की आवश्यकता है। प्राप्त उत्तरों को हम निम्न सारणी में रख रहे हैं—

सारणी – 2 भूष्ण परीक्षण की आवश्यकता सम्बन्धी दृष्टिकोण

सामाजिक-आर्थिक स्तर	हॉ %	नहीं %	तटस्थ %	योग %
निम्न स्तर	15 45.5	16 48.5	2 6.0	33 100.0

Periodic Research

मध्यम स्तर	41 65.1	18 28.6	4 6.3	63 100.0
उच्च स्तर	35 79.5	07 15.9	2 4.6	44 100.0
योग	91 65.0	41 29.3	08 5.7	140 100.0

X2=10.307, df=4, Table value= 9.488 P=.05

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे आधे से अधिक उत्तरदाता 65 प्रतिशत भ्रूण परीक्षण की आवश्यकता पर बल देती है। उनकी दृष्टि में गर्भस्थ शिशु का परीक्षण करा लेने से समय रहते विकारग्रस्त शिशु का पता लगाया जा सकता है और उसका उपचार भी किया जा सकता है। यदि माता पिता मे कोई दोषपूर्ण जीन हो तो इस तकनीक का सहारा लिया जाना चाहिये नहीं तो विकलांग शिशु की समस्या बन सकती है। इसमे मध्यम और उच्च स्तर की उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। पर एक चौथाई उत्तरदाता इससे सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में ऐसे परीक्षण का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस उत्तम विधि को लिंग परीक्षण का माध्यम बना लिया गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शिशु के विकास या विकृति को जानने के लिये इसका प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न स्तर वाली उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। शेष 5.7 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भी कहने की रिश्ति में नहीं है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भ्रूण परीक्षण की आवश्यकता समाज में उपयोगी थी, पर उसका दुरुपयोग होने के कारण इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर भी चोरी छिपे लोग भ्रूण परीक्षण करा रहे हैं।

यहा काई वर्ग का परीक्षण किया गया और पाया गया की दोना चरों में सकारात्मक सम्बन्ध है। यहां काई वर्ग का मान 10.307 आया जो सारणी मान 9.488 से कम है तथा .05 सम्भाव्यता स्तर पर सार्थक है।

भ्रूण परीक्षण के लिये प्रेरक तत्व

भ्रूण परीक्षण की आवश्यकता पर सूचनादाताओं के दृष्टिकोण जान लेने के बाद उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हे भ्रूण परीक्षण कराने की प्रेरणा कहां से मिली। उनसे यह पुछा गया कि यदि भ्रूण परीक्षण कराना आवश्यक ही है तो उन्हे भ्रूण परीक्षण कराने को प्रेरित कौन करता है। प्राप्त उत्तरों को हम निम्न सारणी में रख रहे हैं—

सारणी-3 भ्रूण परीक्षण कराने के लिये प्रेरित करने वाले तत्व

सामाजिक-आर्थिक स्तर	पति की इच्छा %	पत्नी की इच्छा %	परिवार की इच्छा %	योग %
निम्न स्तर	26 78.8	01 3.0	06 18.2	33 100
मध्यम स्तर	57 90.5	01 1.6	05 7.9	63 100
उच्च स्तर	41 93.2	— —	03 6.8	44 100
योग	124 88.6	02 1.4	14 10.0	140 100

x²=4.652 df=4 Table value=9.488 P=.05

E: ISSN No. 2349-9435

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भ्रूण परीक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले उत्तरदाताओं में ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जो उच्च मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले शिक्षित वर्ग के लोग हैं। सूचनादाताओं से बातचीत के दौरान यह पता चला कि उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोग ही भ्रूण परीक्षण कराने के पक्ष में हैं। अशिक्षित एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले उत्तर दाताओं को इस प्रकार के परीक्षण की बहुत अधिक जानकारी नहीं है। यदि उक्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करे तो हम पते हैं कि 88.6 प्रतिशत उत्तरदाता मानती हैं कि भ्रूण परीक्षण हेतु उनके पति द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पति की इच्छा थी कि भ्रूण परीक्षण करा कर गर्भस्थ शिशु की जानकारी ली जाय। इसमें तीनों वर्ग की उत्तरदाताये सम्मिलित हैं। 10 प्रतिशत उत्तरदाता मानती हैं कि उनके परिवार के अन्य सदस्य जिसमें सास श्वसुर सम्मिलित हैं, वे परीक्षण कराने के लिये प्रेरित करते हैं। स्वयं की इच्छा से परीक्षण कराने वाली उत्तरदाताओं की संख्या न्यूनतम है।

यहां पर भी काई वर्ग का परीक्षण किया गया और पाया कि उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्तर और प्रेरित करने वाले तत्वों के बीच सम्बन्ध सार्थक नहीं

Periodic Research

है। यहां पर काई वर्ग हैं। ये दोना चर स्वतन्त्र हैं और इनके बीच किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

भ्रूण परीक्षण कराने का मुख्य कारण

वर्तमान भारतीय समाज परिवर्तनशीलता की स्थिति में है। समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो परिवर्तन से बचा हो। परिवर्तन के इन कारकों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक व्यावसायिक गतिशीलता, आधुनिक शिक्षा, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन व प्रौद्योगिकी विकास मुख्य हैं। इन कारकों ने भारतीया समाज की संरचनात्मक—प्रकार्यात्मक दोनों पक्षों को प्रभावित किया है। इससे समाज की समृद्धि के साथ साथ मानवीय प्रसन्नता में भी वृद्धि हुई है। पर वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे हमारा समाज प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारा सामाजिक व पारिवारिक जीवन विषाक्त होता जा रहा है। इस प्रौद्योगिकी ने जहां विकास के नये आयाम दिये वही समाज में गम्भीर समस्याओं को भी पैदा किया। इन समस्याओं में लिंगानुपात असन्तुलन मुख्य है जो भ्रूण परीक्षण की विधि के विकसित होने से पैदा हुई। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि आप के दृष्टि में भ्रूण परीक्षण कराने के क्या कारण हो सकते हैं। उनके सामने कुछ विकल्प रखे गये और उन पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गयी। प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्न सारणी में रखा जा रहा है—

सारणी—4 भ्रूण परीक्षण कराने का कारण

स्तर	शिशु का विकास %	लड़का लड़की जानना %	अस्वस्थ %	होने पर	सीमित परिवार %	अन्य %	याग %
निम्न स्तर	15 45.4	05 15.1	01 3.0	06 18.1	06 18.1	33	100
मध्यम स्तर	31 49.2	25 39.7	03 4.8	01 1.6	03 4.8	63	100
उच्च स्तर	25 56.8	15 34.1	— —	04 9.1	— —	44	100
योग	71 50.7	45 32.1	04 2.9	11 7.9	09 4.6	140	100

इनमें उन उत्तरदाताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया जो भ्रूण परीक्षण कराने की आवश्यकता को नहीं मानती। द्व

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक ढंग से हो सके और उसमें किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक विकास उत्पन्न न हो, इसलिये भ्रूण परीक्षण की आवश्यकता है। ऐसा मानने वालों में हमारी आधी से अधिक उत्तरदाताये हैं जिनमें हर वर्ग की उत्तरदाता सम्मिलित हैं जो भ्रूण परीक्षण कराने के समर्थन करती है। हमारी 32.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि भ्रूण परीक्षण शिशु का लिंग जाचने के लिये कराया जाता है। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि पुत्र प्राप्ति की लड़का हमारे समाज को इस तरह से अस्था कर रखा है कि पुत्र के लिये हर सम्भव उपाय अपनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा मानने वालों में मध्यम और उच्च स्तर की उत्तरदाताये सर्वाधिक हैं। हमारे 7.9 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार को सीमित रखना चाहता है। इनका मानना है कि परिवार में लड़कियां ही लड़किया पैदा हो रही हैं तो भ्रूण परीक्षण करा कर परिवार को सीमित किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान ने ऐसे दम्पतियों के लिये द्वार खोल दिये

। सीमित परिवार आज समय की मांग है और लड़का बुढ़ापे का सहारा। यही मानसिकता भ्रूण परीक्षण के लिये प्रेरित करता है। ऐसा मानने वालों में निम्न और उच्च स्तर की महिलाये सर्वाधिक हैं। हमारे उत्तरदाताओं का एक न्यूनतम भाग 2.9 प्रतिशत यह मानता है कि गर्भावस्था के दौरान अस्वस्थ होने के कारण महिलाये भ्रूण परीक्षण कराती हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार चिकित्सा परामर्श के पश्चात भिन्न भिन्न बीमारियों जैसे गर्भ में बच्चे का न घुमना, असमय पेट में दर्द, असमय खून आना, चक्कर आना, रक्त चाप का घटना बढ़ना, आदि से अल्ट्रासाउण्ड कराया जा रहा है। यदि उपयुक्त चिकित्सकीय परामर्श न दिया जाय तो गर्भवती महिला को खतरा हो सकता है। हमारी 4.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य कारणों से भ्रूण परीक्षण की हिमायती है। अन्य कारणों में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में, गर्भवती महिला को 9 माह का समय निकल जाने, बार बार रक्तस्राव होने से चिकित्सकीय सलाह के उपरान्त भ्रूण परीक्षण कराया जा सकता है।

E: ISSN No. 2349-9435

लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

आज हम 21 वी सदी में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदली। आज भी हमारा समाज लड़का लड़की में भेद करता है। अल्ट्रासाउण्ड और लिंग परीक्षण की अन्य विधियों के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा बढ़ती हुई और पुत्र प्राप्ति के चक्कर में बेटियों की संख्या बढ़ती चले जाने की पुरानी बीमारी से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि पैर से दब कर चीटी मर जाने पर नाक भौं सिकुड़ने वाले लोग इस तरह की हत्या पर उफ न करते। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। भ्रूण हत्या का रिवाज तथाकथित सम्मान्त व सम्पन्न परिवारों में अधिक चलरहा है। भ्रूण परीक्षण व भ्रूण हत्या पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी शिशु के स्वास्थ जाचने के नाम पर बेधड़क भ्रूण परीक्षण कर कानून का मुह चिढ़ाया जा रहा है।

उक्त सन्दर्भ में यहा महिलाओं से लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े विभिन्न विन्दुओं पर उनकी राय जानी गयी। उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाया गया है, क्या आप इससे सहमत है? प्राप्त उत्तरों को हम निम्न सारणी में रख रहे हैं—

सारणी-5 लिंग परीक्षण पर प्रतिबन्ध के प्रति दृष्टिकोण

स्तर	प्रतिबन्ध अनिवार्य है %	प्रतिबन्ध अनिवार्य नहीं %	योग %
निम्न स्तर	23 69.7	10 30.3	33 100.0
मध्यम स्तर	43 68.3	20 31.7	63 100.0
उच्च स्तर	25 56.8	19 43.2	44 100.0
योग	91 65.0	49 35.0	140 100.0

$x^2=1.796$ df=2 TableValue=5.991 P=.05

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी दो तिहाई अर्थात् 65 प्रतिशत उत्तरदाता यह चाहती हैं कि लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबन्ध अनिवार्य होना चाहिये। ये महिलाये लिंग परीक्षण पर प्रतिबन्ध को उचित मानती हैं, पर केवल वैधानिक प्रतिबन्ध होने से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता जब तक समाज की स्वीकृति न हो। यदि आप वैधानिक प्रतिबन्ध लगायेंगे तो लाग चोरी छिपे भ्रूण की जांच करायेंगे। इसलिये कानून के साथ साथ समाज की स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसा मानने वालों में सभी वर्ग की महिलाये सम्मिलित हैं पर निम्न-मध्यम वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। इसके बिपरीत 35 प्रतिशत उत्तरदाता भ्रूण परीक्षण पर लगाये गये प्रतिबन्ध को उचित नहीं मानती। इन महिलाओं का मानना है कि विकित्सा विज्ञान ने जब ये सुविधा उपलब्ध करा दिया तो हम अपने स्वास्थ के प्रति गम्भीर क्यों न हो? यदि शिशु का विकास ठीक ढंग से न हो पर रहा

Periodic Research

हो या माँ का स्वास्थ ठीक न हो तो भ्रूण परीक्षण कराकर स्वास्थ लाभ लिया जाना चाहिये ताकि गर्भस्थ शिशु अपंग न हो, उसमे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकार न हो। इसलिये भ्रूण परीक्षण पर लगाया गया प्रतिबन्ध समाप्त किया जाना चाहिये। यह वैधानिक रूप से उचित नहीं है बल्कि हमारे उपर थोपा गया जबरिया कानून है।

लिंग परीक्षण पर लगाये गये कानूनी प्रतिबन्धों की अनिवार्यता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण जानने के बाद यह जानने का प्रयास किया गया कि लिंग परीक्षण कब कराया जाना चाहिये—प्रथम सन्तान पुत्र के बाद या प्रथम सन्तान पुत्री के बाद। प्राप्त तथ्यों को निम्न सारणी में रखा जा रहा है

सारणी-6 सन्तान प्राप्ति के बाद लिंग परीक्षण

विकल्प	सहमत %	असहमत %	योग %
प्रथम सन्तान पुत्र प्राप्ति के बाद	25 17.9	115 82.1	140 100
प्रथम सन्तान पुत्री प्राप्ति के बाद	71 50.9	69 49.3	140 100
भ्रूण परीक्षण कराना कानूनी अपराध है	116 82.9	24 17.1	140 100

उक्त सारणी में दिये गये विकल्पों पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जानी गयी। उत्तरदाताओं का 17.9 प्रतिशत भाग मानता है कि प्रथम सन्तान पुत्र प्राप्ति के बाद भ्रूण परीक्षण करा लिया जाना चाहिये। सीमित परिवार को बनाये रखने और जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिये ऐसा किया जाना उचित होगा पर सर्वाधिक 82.1 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं और लगभग इतनी ही संख्या में ये भ्रूण परीक्षण कराना कानूनी अपराध मानती हैं। दुसरे विकल्प में हमारा आधी से अधिक उत्तर दाता प्रथम सन्तान पुत्री के बाद भ्रूण परीक्षण कराना उचित मानती है। इनका मानना है कि प्रथम सन्तान यदि कन्या है तो परिवार कल्याण की दृष्टि से भ्रूण परीक्षण कराना उचित होगा पर आधी उत्तरदाता इससे भी सहमत नहीं है।

सन्तान प्राप्ति के बाद भ्रूण परीक्षण सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह जानने का प्रयास किया गया कि यदि भ्रूण परीक्षण के उपरान्त यह पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु कन्या भ्रूण है तो क्या भ्रूण नष्ट कराया जाय उत्तरदाताओं से यह पुछा गया कि यदि पता चल जाय कि गर्भस्थ शिशु कन्या है तो क्या कन्या भ्रूण को नष्ट करायेंगी? प्राप्त उत्तर को निम्न सारणी में रखा जा रहा है—

सारणी-7 कन्या भ्रूण को नष्ट कराने से सम्बन्धी विचार

स्तर	हाँ %	नहीं %	योग %
निम्न स्तर	04 12.1	29 87.9	33 100.0
मध्यम स्तर	07 11.1	56 88.9	63 100.0
उच्च स्तर	31 70.4	13 29.5	44 100.0

योग	43 30.7	97 69.3	140 100.0
-----	------------	------------	--------------

$\chi^2=49.567$ df=4 TableValue=9.488 P=.05

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे आधे से अधिक उत्तरदाता 69.3 प्रतिशत यह मानती है कि भ्रूण परीक्षण के उपरान्त भी यदि पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु कन्या है तो भी भ्रूण नष्ट नहीं करायेगी। ऐसा मानने वालों में निम्न मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं जब कि 30.7 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि भ्रूण नष्ट करायेगी यदि गर्भस्थ शिशु लड़की है। ऐसा मानने वालों में उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर की उत्तरदाताये सर्वाधिक हैं। इन महिलाओं का मानना है कि वंश परम्परा का निर्वहन करने, पूर्वजों को श्रद्धान्जली देने, परिवार का व्यवसाय संचालित करने के लिये पुत्र का होना आवश्यक है। यह कार्य भारतीय परम्परा में पुत्र का है पुत्री का नहीं। इस लिये परिवार में पुत्र होना चाहिये न कि पुत्री।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण

भारत में लड़कियों की उपेक्षा के पीछे संकुचित मानसिकता है और यही संकुचित मानसिकता कन्या भ्रूण हत्या को जन्म देती है जिससे लिंगानुपात असन्तुलित हुआ है। सन् 2011द्वं की आकड़े चौकाने वाले हैं। जहां वर्ष ; 2001द्वं में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 थी वही 2011द्वं में बढ़कर 940 हो गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि बीते दशकों में भ्रूण हत्याओं में तीव्रता से वृद्धि हुई। साथ ही दहेज का बढ़ता प्रचलन, शादियों में अधिक खर्चा, पुत्र मोह वंश चलाने के लिये, लड़कियों की पढ़ाई अनिवार्य न होना, लड़कियों का शारीरिक रूप से असुरक्षित होना, विवाह के लिये योग्य वर का न मिलना, जनसंख्या नियन्त्रण आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों के बढ़ते प्रचलन से लोगों को भ्रूण हत्या कराने में काफी मदद मिली है।

उक्त सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण उनकी दृष्टि में क्या है? उनके सम्मुख कन्या भ्रूण हत्या के कारणों सम्बन्धी कुछ विकल्प रखे गये और उन पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गयी। प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्न सारणी में रखा जा रहा है—

सारणी—8 कन्या भ्रूण हत्या के कारण सम्बन्धी दृष्टिकोण

कन्या भ्रूण हत्या के कारण	संख्या	प्रतिशत
पुत्र प्राप्ति की मानसिकता कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित करता है	74	52.8
कन्या भ्रूण हत्या से विवाह की परेशानी से बचा जा सकता है	10	7.1
लड़की परिवार पर एक अनार्थिक भार है	21	15
प्राचीन मनोवृत्तियां व अन्धविश्वास कन्या भ्रूण हत्या के लिये उत्तरदायी है	11	7.8

Periodic Research

अशिक्षा व उपेक्षा कन्या भ्रूण हत्या का कारण है	24	17.1
योग	140	100

उक्त सारणी में प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के एक नहीं अनेक कारण हैं। उनमें सबसे मुख्य कारण पुत्र प्राप्ति की मानसिकता है। हमारे आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने बाताया कि हमारे समाज में पुत्र को ही अधिक महत्ता दी गयी है क्योंकि पुत्र को ही वंश परम्परा को बढ़ाने वाला, अन्तिम संस्कार कर माता पिता को मुक्त कराने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला और भविष्य का सहारा माना जाता है। इस लिये लड़के की चाह मुखर हो जाती है तथा कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बढ़ाने लगा। हमारे 15 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि लड़कियां परिवार के लिये आवंक्षित आर्थिक भार है क्योंकि विवाह के योग्य होने पर दहेज के रूप में काफी धन व्यय करना पड़ता है। दहेज प्रथा से बधु पक्ष की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है। इन उत्तरदाताओं ने बताया कि लड़की का जन्म खान-पान की व्यवस्था, पढ़ाई के बाद योग्य वर की तलाश, और ढेर सारा दहेज लड़की को परिवार में एक भार बना देता है। इन्हीं सारी परेशानियों के कारण परिवार में बालिका का जन्म अपने यहा नहीं चाहते। हमारी 17.1 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षा व सामाजिक परिवेश को कन्या भ्रूण हत्या का कारण मानती हैं। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ही ऐसा है कि महिलाओं को अपने तथा अपनी सन्तान सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है। इन्हीं पूर्वधारणाओं के महामारी 7.8 प्रतिशत उत्तरदाता प्राचीन मनोवृत्तियों और अन्धविश्वास को कन्या भ्रूण हत्या का कारण मानता है। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि जिन दम्पत्तियों के पास केवल लड़कियां ही लड़किया हैं, पुत्र नहीं हैं उनको समाज अजीब गरीब दृष्टि से देखता है। समाज में अन्धविश्वास और प्रचलित मनोवृत्तियां इतनी गहरी हो गयी हैं कि पुत्र ही सब कुछ है। इस कारण कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुत्र प्राप्ति की मानसिकता, अशिक्षा व सामाजिक उपेक्षा, निर्धनता और दहेज, पुरुष प्रधान मानसिकता व अन्धविश्वास कन्याभ्रूण हत्या का मुख्य कारण है। इसी प्रकार के निष्कर्ष अलका जैन 2014, गिरीश मोहन द्वारे और सुनीता जैन (2014), डा नीता गुप्ता (2013), डा अरुण कुमार उपाध्याय (2007) ने अपने अध्ययनों में दिये हैं।

कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक दुष्परिणाम

आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि देश में बालिका शिशु हत्या व्यापक स्तर पर हो रही है— चाहे जन्म से पहले का हो या जन्म के बाद। वर्ष (2001) की जनगणना के अनुसार भारत में बाललिंगानुपात 927 था जो (2011) में घट कर 914 रह गया। राज्य स्तर पर देखे तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में (2001) में 1000 बालकों पर 975 बालिकायें थीं जो (2011) में घट कर 964 पर पहुंच गया। मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैण्ड,

E: ISSN No. 2349-9435

अरुणांचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उडीसा, कर्नाटक, बिहार, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखण्ड, में (2001) की तुलना में (2011) में गिरावट आयी है। पर मिजोरम, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में बाल लिंगानुपात में वृद्धि के संकेत मिलते हैं पर यह कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं है क्योंकि इन राज्यों में लिंगानुपात अभी भी बहुत कम है। अण्डमान निकोबार और चण्डीगढ़ को छोड़ कर सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में कमी हो रही है। इस प्रकार ये आंकड़े अत्यन्त चिन्ताजनक हैं जो महिला प्रस्थिति के निर्धारण के अच्छे संकेत नहीं हैं।

बालिका भ्रूण हत्या से लिंगानुपात असन्तुलन चिन्ताजनक स्थिति में है। लड़कियों के निरन्तर कमी होने से महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यौन शोषण, महिला उत्पीड़न, विवाह सम्बन्धी समस्या, निरन्तर बढ़ रही है। इससे बहुपति विवाह, बलात विवाह, एवं वेश्यावृत्ति जैसी समस्या भी पैदा हो रही है। हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी इसी प्रकार का रहा जिसमें महिलाओं को अपनी तथा अपनी सन्तान के प्रति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है। इन्हीं कन्या विरोधी धारणाओं का परिणाम कन्या भ्रूण हत्या जैसी धिनोनी कृत्य के रूप में हमारे सामने आता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या हमारे समाज के लिये एक महत्व पूर्ण चुनौती है।

निष्कर्षत हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात असन्तुलन का मुख्य कारण लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या है और यह कुकृत्य अधिकाशत सुशिक्षित, आधिक दृष्टि से सम्पन्न और भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले ही जादा करा रहे हैं। कठोर कानूनी प्रवधानों के वावजूद भी इस प्रकार के लिंग परीक्षण होना हमारे समाज के लिये कलंक है। इसके लिये आवश्यक है कि जनजागरण द्वारा जागरूकता पैदा किया जाय। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कुप्रथाओं का अन्त, महिला शिक्षा का विस्तार, और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दे कर लिंगानुपात असन्तुलन को कम किया जा सकता है।

Periodic Research

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- के. एन. दास एण्ड पी. सी. महलनोविस 1934, ए प्रीलेमनरी नोट आन द रेट आफ मैटरनल डेथ एण्ड स्टील बर्थ इन कलकत्ता, द इण्डियन जनरल आफ स्टेटिस्टिक्स, वायल्युम 1 पार्ट 2 एण्ड 3 /
- के. बी. रामचन्द्रन एण्ड व्ही. ए. देश पाण्डे 1964, द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इण्डिया बाई रिजन्स, मिलबैक मेमारियल फण्ड, क्वार्टली /
- मालनी कारकर एण्ड सुलमा चोगले 1976, आन द डिटरमेन्ट्स आफ सेक्स आफ ए चाइल्ड विथिन ए फैमिली, जोगिन्द्र कुमार एण्ड टी. के. राव, एडिटर्स, सेक्स रेशियो डेमोग्राफिक एनालिसिस, बाम्बे इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार पापुलेशन स्टडीज, डोनार /
- पी. वी. देसाई 1967, साइज एण्ड सेक्स कम्पोजीशन आफ पापुलेशन आफ इण्डिया, 1901–1961 नवी दिल्ली, एशिया पब्लिशिंग हाऊस /
- एम. के. जैन 1976 डिसिलिंग प्रोपोरेशन आफ फैमिलिज इन इण्डिया इट्स एक्सटेन्ट एण्ड अन्डरलाइग फैक्टरस इन कारकाल जोगिन्द्र राव, एडिटर्स सेक्स रेशियो डेमोग्राफिक एनालिसिस, बाम्बे इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पापुलेशन स्टडीज, डोनार /
- इन्द्रा चौहान 1986 सामाजिक शोध में प्राथमिकताये, सामाजिकी उत्तर प्रदेश समाज शास्त्र परिषद, खण्ड 7 अंक 1–2
- बरेली जिला रायसेन में दिया गया उद्बोधन /
- अलका जैन 2014 भारत में लिंगानुपात संरचना का अध्ययन, म.प्र. इकोनामिक एसोसियेंशन फरवरी, इन्दौर /
- गिरीश मोहन दूबे एवं सुनीता जैन 2014 भारत में लिंगानुपात की स्थिति का विश्लेषण, जर्नल आफ इकानामिक एसोसियेंशन, फरवरी इन्दौर /
- नीता गुप्ता 2013, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, शोध अनुसन्धान समाचार, भोपाल /